रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1027] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 2, 2004/अग्रहायण 11, 1926

No. 1027] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 2, 2004/AGRAHAYANA 11, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2004

आयकर

का.आ. 1321(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 203 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 की परिशिष्ट 2 के प्ररूप 16 में,—

(क) मद 13 में, उपमद II के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"II. (क) धारा 88ख, के अधीन रुपए.....

(ख) धारा 88ग, के अधीन रुपए.....

(ग) धारा 88घ, के अधीन रुपए.....";

(ख) मद 14 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"14. ऊपर 13 पर कर रिबेट का योग

[I (च) + II(क) + II(ख) + II(ग) रुपए.....]"

[अधिसूचना सं. 289/2004/फा. सं.142/30/2004-टीपीएल]

चंद्रजीत सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969, तारीख 26 मार्च, 1962 के अधीन प्रकाशित किए गए थे जो समय-समय पर संशोधित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. 1316(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2004 को किया गया।